

# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी० ए० संख्या-57/2020

1. भोला महतो उर्फ संयोग कुमार

2. आनंद राणा

.... याचिकाकर्तागण

बनाम्

झारखण्ड राज्य

.... विपक्षी पक्ष

**कोरम :** माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्तागण के लिए: श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता।

राज्य के लिए: श्री सुचेन्द्र प्रसाद, ए०पी०पी०।

2/15.01.2020 श्री मनीष कुमार, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री सुचेन्द्र प्रसाद, राज्य के लिए विद्वान ए०पी०पी० को सुना।

याचिकाकर्तागण, बड़कागांव थाना काण्ड संख्या 168/2019 के संबंध में अभियुक्तगण हैं।

याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों को तब पकड़ा गया जब वे अपराध करने की योजना बना रहे थे। हालांकि, याचिकाकर्ताओं से कुछ भी बरामद नहीं हुआ।

‘ याचिकाकर्ता 24.09.2019 से हिरासत में हैं।

उपरोक्त के संदर्भ में, उपरोक्त नामित याचिकाकर्तागण को 10,000/- (दस हजार) रूपये के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान एस0डी0जे0एम0, हजारीबाग की संतुष्टि पर बड़कागांव थाना काण्ड संख्या 168/2019 के सम्बन्ध में जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)